

## न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11 कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

मामला सं. 295 और वर्ष 2015

गोकुल कृष्ण कॉलोनाईजर्स एण्ड डबलपर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक फुलचन्द सैनी पंजीकृत कार्या. 36, लक्ष्मीनारायण विहार, गणपतपुरा, मांग्यावास, मानसरोवर, जयपुर।  
छीतरसम पुत्र श्री रामदेव जाति रैगर, निवासी-भापुरा, तहसील सांगानेर।

आवेदक  
विषय:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक 23/6/15

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:-

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल हैक्ट. में	रचानित्व
तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर	ग्राम दौलतपुरा	482	0.50	गोकुल कृष्ण कॉलोनाईजर्स एण्ड डबलपर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक फुलचन्द सैनी पंजीकृत कार्या. 36, लक्ष्मीनारायण विहार, गणपतपुरा, मांग्यावास, मानसरोवर, जयपुर
		502	0.36	
		505	2.28	
		505/557	0.16	
		549	0.05	
		550	0.03	
		546	0.10	छीतरसम पुत्र श्री रामदेव जाति रैगर, निवासी-भापुरा, तहसील सांगानेर,
		547	0.09	
		548	0.02	
	कुल किटा 9	कुल रकबा 3.59 हैक्ट.		



- आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक रूप से अनुप्राणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-गैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संवंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-के और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का गैर कृषि आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्राप्तान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
- अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि ग्राम दौलतपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 482 रकबा 0.50 हैक्ट. ख.नं. 502 रकबा 0.36 हैक्ट. ख.नं. 505 रकबा 2.28 हैक्ट. ख.नं. 505/557 रकबा 0.16 हैक्ट. ख.नं. 549 रकबा 0.05 हैक्ट. ख.नं. 550 रकबा 0.03 हैक्ट. ख.नं. 546 रकबा 0.10 हैक्ट. ख.नं. 547 रकबा 0.09 हैक्ट. ख.नं. 548 रकबा 0.02 हैक्ट. कुल किटा 9 कुल रकबा 3.59 हैक्ट. मैं रिथत भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का गैर कृषि आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्यव्याधीन रखा गया समझा जायेगा।
- आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुगोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
- इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निवंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।
- यह निर्णय स्थानीय प्राधिकारी (सविप्रा, जिप्रा, जयपुर) की अनुमति के पश्चात् जारी किया जा रहा है।  
यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 23/6/15 को पारित किया गया।

1.

(राजकुमार सिंह)  
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण

दिनांक 23/6/15

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-11/2015/डी- 2654

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी-

- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- तहसीलदार, सांगानेर तहसील को पूर्वोक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
- प्रगारी नागरिक सेवा केन्द्र को उनके पंजीयन क्रमांक 215902 दिनांक 01.6.15 के क्रम में सुनार्थ प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।  
जयपुर